

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1874  
12.02.2021 को उत्तर के लिए

पक्षी विहार को खतरा

1874. श्री विनोद कुमार सोनकर:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री भोला सिंह:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सलीम अली पक्षी विहार थाट्टेकड, केरल का पर्यावास चराई, जलावन-लकड़ी इकट्ठा करने और आक्रामक प्रजातियों के खतरे का सामना कर रहा है;
- (ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या सरकार को पक्षी विहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की शिकायतें मिली हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ड.) क्या सरकार ने थाट्टेकड में जमीनी स्तर की स्थिति का आकलन करने के लिए एक टीम को मंजूरी दी है और यदि हां, तो टीम के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

- (क) और (ख) : जैसाकि केरल वन विभाग द्वारा सूचित किया गया है, थाट्टेकड पक्षी अभयारण्य की सीमा को सौर ऊर्जा से संचालित बाड़ का निर्माण करके सुरक्षित किया गया है। वन विभाग द्वारा अभयारण्य के अंदर पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के खतरे की रोकथाम के लिए संरक्षण पहरेदारों को भी तैनात किया गया है। इसके साथ-साथ, आक्रामक रूप से उगने वाली वनस्पति प्रजातियों के संवर्धन को नियंत्रित किया जाता है और प्रति वर्ष उन्हें जड़ से उखाड़ कर निर्मूल कर दिया जाता है ताकि पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी एकत्र करने और आक्रामक वनस्पति प्रजातियों के उगने के कारण अभयारण्य को कोई क्षति न पहुंचे।
- (ग) और (घ) : केरल वन विभाग ने सूचित किया है कि पक्षी अभयारण्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ड.) और (च) : थाट्टेकड में जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने तथा थाट्टेकड पक्षी अभयारण्य के सुगम कार्य-संचालन एवं प्रबंधन के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करने हेतु एक पक्षी विज्ञानी उपलब्ध कराया गया है।

अभयारण्य के प्रबंधन के लिए उठाए गए अन्य कदम निम्नलिखित हैं:

- i. अभयारण्य के प्रबंधन के लिए अनुमोदित प्रबंध योजना के अनुसार कार्यकलाप शुरू किए जाते हैं।
- ii. भारत सरकार केंद्र-प्रायोजित योजना-वन्यजीव पर्यावास का विकास के तहत थाट्टेकड पक्षी अभयारण्य में वन्यजीवों और उनके पर्यावास के संरक्षण हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गत तीन वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत 25.16 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल वाले थाट्टेकड पक्षी अभयारण्य के लिए केरल की राज्य सरकार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत् है:

क्रम सं.	वर्ष	राशि (लाख रूपए में)
1.	2017-18	20.688
2.	2018-19	26.93
3.	2019-20	23.72

\*\*\*\*\*